XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला – विदिशा

प्रकरण कमांक निग0 3176–एक / 14

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17-4-15	प्रकरण का अवलोकन किया एवं उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया । जहां तक प्रकरण में आमिरखान को पक्षकार बनाने का प्रश्न है विधि की जो स्थिति है उसके अनुसार विकेता के स्वत्व ही केता को प्राप्त होते हैं और केता अलग से कोई अधिकार प्राप्त नहीं करता है । इस प्रकरण में यह तथ्य सामने आया है कि आमिर खान द्वारा भूमि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण गतिशील होने के बाद भूमि कय की गई है । दर्शित परिस्थिति में आमिरखान को पक्षकार बनाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । प्रकरण में जो भी निर्णय होगा वह आवेदिका के साथ आमिरखान पर भी बंधनकारी होगा क्योंकि आमिर खान ने जिससे भूमि कय की है वह प्रकरण में पक्षकार (आवेदक) है । जहां तक प्रकरण को ग्राह्य किये जाने का प्रश्न है । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में 8 दिवस का विलंब है जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उभयपक्षों को सुनकर विलंब को क्षमा किया गया है । विलंब क्षमा करना न्यायालय का विवेकाधिकार है और आवेदक यह बताने में असमर्थ रहा है कि विवेक का उपयोग अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायिक दृष्टि से नहीं किया गया हैं । प्रकरण का निराकरण अभी गुणदोष पर होना है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है । ऐसी स्थिति में इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस हों । सदस्य	

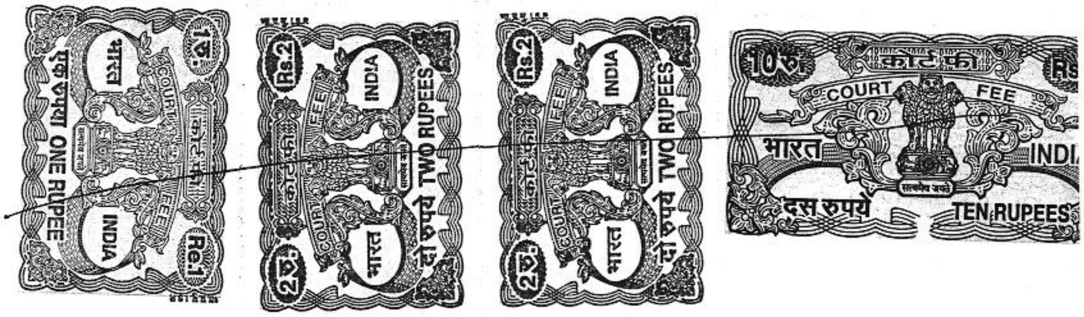

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल (म.प्र.) ग्वालियर

प्रकरण क्र.   /2014 रिवीजन R 3126-II/14

Representation by the
Shri
Vinod Shrivastava Adv.
Date 19-9-2014

फूलाबाई पत्नी श्री अमर सिंह दांगी, आयु–45 वर्ष, व्यवसाय– गृहकार्य, निवासी– ग्राम लेठनी, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा (म.प्र.) ....आवेदिका

बनाम

दिनांक 19-9-14 को
श्री विनोद श्रीवास्तव
अभि० द्वारा प्रस्तुत।
19-9-14
SO

गोविन्द सिंह पुत्र श्री भीकम सिंह, आयु–50वर्ष, व्यवसाय– खेती, निवासी– ग्राम धानोदा, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा (म.प्र.)

.......अनावेदक

रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 (1) म.प्र. भू–राजस्व संहिता, विरुद्ध न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, सिरोंज, जिला विदिशा के प्रकरण क्र.56/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 15.09.2014 के परिवेदित होकर।